(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
13/2020	25/02/2020	12/05/2025

1. हीरालाल पुत्र भैरूलाल
2. देवकरण पुत्र भैरूलाल
3. शम्भूदयाल पुत्र भैरूलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
2. कानाराम पुत्र रामसहाय
3. गुल्लाराम पुत्र रामसहाय
4. नारायणलाल पुत्र रामसहाय
5. रामकुवार पुत्र रामसहाय
6. लादूराम पुत्र रामसहाय

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मथूरादासपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :– वकील प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 131, 132 सपठित 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 1.3000है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 164/1 रकबा 5 वीघा 3 विस्वा ग्राम लांगडियावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो कि प्रार्थीगण की कयशुदा भूमि है। हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 1.3000है0 भूमि को कय करने के बाद काबिज काश्त चले आ रहे है जो कि उक्त भूमि का हाल सेटलमेंट मे जो नवीन नक्शा कायम किया गया है वह सेटलमेंट कर्मचारियों ने लिपिकीय भूल करते हुये पूर्व नक्शें के विपरित जाकर नवीन नक्शा कायम किया है जो कि एक प्रकार की लिपिकीय भूल है। सेटलमेंट कर्मचारियों के द्वारा नवीन नक्शा कायम करते समय राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 80 के पश्चिमी दिशा में प्रतिवादी सं0 2 ता 6 के खसरा नम्बर 81 का नक्शा कायम किया गया है। जबकि उक्त स्थान पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है और पूर्व नक्शें में भी उक्त भूमि वादी के हिस्से में है तथा वादी की भूमि के दक्षिण में दिशा में प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 81 है और वर्तमान में भी कब्जा प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का ही है। जो कि नवीन नक्शा कायम करते समय सेटलमेंट कर्मचारियों के द्वारा भूलवश खसरा नम्बर 80 के पश्चिमी दिशा मे प्रतिवादी सं0 2 ता 6 की भूमि खसरा नम्बर 81 का नक्शा कायम कर दिया है जो कि गलत है वास्तविक में प्रतिवादी सं02 ता 6 की भूमि वादी की भूमि खसरा नम्बर 80 के दक्षिण में स्थित है और वर्तमान में प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का कब्जा भी वही पर है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूमि व त्रुटि के कारण नवीन नक्शे में उक्त

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

प्रकार नक्शा गलत कायम किया गया जो दुरूस्तनीय है। अतः हाल खसरा नम्बर 80 रकबा 0.3000है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 164/1 के नवीन नक्शें को दुरूस्त कर पूर्व नक्शें अनुसार कायम करने के आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। अप्रार्थीगण बावूजद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 लगायत 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/5200 दिनांक 22.04.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने जवाब मे निवेदन किया कि वाके ग्राम लांगडियावास के खसरा नम्बर 80 रकबा 1.30है0 हीरालाल पुत्र भैरूलाल जाति मीणा के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 164/1 है। खातेदार साबिक नक्शें अनुसार ही काबिज काश्त है। हाल नक्शा व साबिक नक्शें मे अन्तर है जो शुद्वि योग्य है। खसरा नम्बर 80 व 81 साबिक नक्शें के अनुसार नही है जो शुद्वि योग्य है। अतः साबिक व हाल नक्शें में अन्तर प्रतीत होता है। हाल नक्शें का साबिक नक्शें अनुसार शुद्व किया जाना अपेक्षित है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 सपठित 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम लांगडियावास, पटवार हल्का लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 80 रकबा 1.3000है0 साबिक खसरा नम्बर 164/1 के हाल नक्शा को साबिक नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर